(170)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक 1808–दो/2005 निगरानी – विरूद्व आदेश दिनांक 4–8–2005 पारित व्दारा – अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 118/2004–05 निगरानी

राजेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र बाल्मीक सिंह
मोहल्ला बासिन पुरवा एस ए एफ
चौराहा तहसील हुजूर जिला रीवा ——आवेदक

विरूद्व

श्रीमती दुअसिया पत्नि स्व.रामप्रसाद यादव
निवासी ग्राम भेसरहा जिला सीधी वर्तमान
ग्राम वासिन पुरवा एस ए एफ
चौराहा तहसील हुजूर जिला रीवा ——अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 17–8–2017 को पारित)

अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 118/2004–05 निगरानी में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 4–8–05 के विरूद्व म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि जगदीश पुत्र रामप्रसाद यादव ने इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि रीवा पट.हलका नं. 35 स्थित भूमि खसरा नंबर 1167 जिसका रकबा 0.18 एकड़ है उसे नाजायज तरीके से रकबा 0.58 एकड़ बना दिया गया है उसे सुधारा जावे। तहसीलदार हुजूर ने प्रकरण कमांक 4 अ–6–अ/2002–04 पॅजीबद्व किया तथा आदेश दिनॉक 25–11–03

पारित करके रकबा 0.58 एकड के स्थान पर रकबा 0.18 एकड़ सॅशोधित किये जाने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व राजेन्द्र प्रताप पुत्र बाल्मीक सिंह ने अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर रीवा ने प्रकरण कमांक 4 अ—6—अ/03—04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26—4—2005 से निगरानी निरस्त की। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की तथा निगरानी मेमो के साथ मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 52 के अंतर्गत स्थगन आवेदन प्रस्तुत किया । अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने प्रकरण कमांक 118/2004—05 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 4—8—2005 से स्थगन आवेदन निरस्त कर दिया। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 118/2004—05 निगरानी का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 118/2004—05 निगरानी के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने इस प्रकरण में अंतिम आदेश दिनांक 4—10—2008 पारित करके प्रकरण का अंतिम निराकरण कर दिया है जिसके कारण स्थगन आवेदन अमान्य करने वावत् अपर आयुक्त व्दारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 4—8—2005 के विरूद्व प्रस्तुत निगरानी अप्रचलनशील है। विचाराधीन निगरानी में अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु विचार के लिये शेष न होने एंव निगरानी अप्रचलनशील होने से निरस्त की जाती है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर